राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी–88 (पार्ट–III)/2018/1591 दिनांक : 14.09.2018

"काउंसलिंग विज्ञप्ति"

"जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2018–19 की निजी प्रशिक्षण केन्द्रों की द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग"

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2018–19 की निजी नर्सिंग स्कूल्स जिनकी सूची मय निर्धारित सीटों के विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है, में प्रवेश हेतु निजी नर्सिंग स्कूलों की द्वितीय ऑनलाईन काउंसलिंग जो दिनांक 20.09.2018 को निर्धारित है। विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थीयों के लिए होने वाली ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु विभागीय वैबसाईट **www.rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध निजी प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु रूपये 10,000/– अग्रिम फीस पेटे ई मित्र/सीएससी नेटवर्क एवं वैबसाईट पर उपलब्ध बैंक ऑफ बड़ौदा के चालान के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु पूर्व में रू. 180/– जमा करवाकर अपना विकल्प पत्र भरा है, किन्तु राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रथम काउंसलिंग के दौरान उनका चयन नही हुआ है तथा ऐसी अभ्यर्थी जिनका राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में आवंटन हो चुका है एवं वे राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश न लेकर निजी नर्सिंग स्कूल में राजकीय कोटे की सीट पर प्रवेश लेना चाहते है एवं अभी तक इन अभ्यार्थियों ने इन्हें आंवटित राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत नही की है, ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी भी उपरोक्तानुसार रू. 10,000/– फीस पेटे दिनांक 18.09.2018 तक अग्रिम राशि जमा कराकर निजी नर्सिंग स्कूलों हेतु दिनांक 20.09.2018 को आयोजित द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते है।

दिनांक 15.09.2018 से 18.09.2018 तक योग्य अभ्यर्थी अपना विकल्प पत्र विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध निजी प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची अनुसार अधिक से अधिक प्रशिक्षण केन्द्रों को वरियता देकर भरे। प्रशिक्षण केन्द्रों का आंवटन 20.09.2018 को राज्य स्तरीय मेरिट व अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र पर सीट रिक्त होने की स्थिति में किया जावेगा। अभ्यार्थियों का वर्गवार कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है :–

	Gen	OBC	SBC	SC	SC-TSP	ST	ST-TSP	Saharia	In Service	PH
Female (PCB)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Male (PCB)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Female (Other)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Male (Other)	40%	40%	40%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%

नोट :

1. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार ही प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन के पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्र स्थानान्तरण नही होगा एवं एक प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन होने पश्चात् यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपनी उपस्थिति आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र प्रस्तुत नही करता/करती है तो उसके द्वारा जमा की गयी फीस पेटे जमा अग्रिम राशि 10,000 वापस देय नही होगी। उक्त राशि राजकोष में जब्त कर ली जावेगी।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर